

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 128/2020
3. उनवान : सरकार जरिये महेन्द्र सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री राघेश्याम बंसल पुत्र बुद्दाराम बंसल निवासी
नगरपालिका पार्क के पास तह. कोटपूतली। मैसर्स बालाजी
किराना स्टोर, नगरपालिका पार्क के पास, कोटपूतली।

4. निर्णय दिनांक : 06.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री अजय कुमार गुप्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, कोटपूतली, महेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.02.2002 को मुखबीर की सूचना पर मैसर्स बालाजी किराना स्टोर पहुंचे। जांच कार्यवाही के दौरान दुकान के पास वाले कमरे व चौक तथा बाहर एक अन्य कमरे में अवैध रूप से भण्डारित 31 घरेलू सिलेण्डर (6ओईओसीएल+1बीपीसीएल+24एचपीसीएल) जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रूप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 08.05.2012 को अधिवक्ता श्री अजय कुमार गुप्ता ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अभिभाषक की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार-बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 06.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 15.02.2002 को जब्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था। अप्रार्थी की ओर से जब्त सिलेण्डरों की वैधता के संबंध में मौके पर तथा आज तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेजात के घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर एलपीजी(रिग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000, आरपीपीएल 1990 एवं विस्फोटक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान जिसमें 11 खाली सिलेण्डर (6ओईओसी+1बीपीसी+4एचपीसी) एवं 20 भरे हुये गैस सिलेण्डर एचपीसी मय 284.80 किग्रा. गैस फर्द जप्ती के अनुसार को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



निर्णय आज दिनांक 06.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

32 =
(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।